छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

---0---

–:: आदेश ::–

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 / 10 / 2024

क्रमांक 1554 / 748 / 2020 / स्था. / चार :: श्री सतीश पाटिले, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग द्वारा मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर **याचिका क्र. 652 / 2024** में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 में दिये गये निर्देश के अनुक्रम में श्री पाटिले द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 15.02.2024 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग से छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के पद पर पदोन्नति हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06.10.2020 का पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.07.2024 को आहूत की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरीक्षित बैठक दिनांक 30.07.2024 में समिति द्वारा श्री सतीश पाटिले, का पदोन्नति हेतु अनुशंसा नही की गई। उक्त पुनरीक्षित बैठक में श्री डिलेश्वर साय पैकरा को छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है।

2/ अतएव, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डिलेश्वर साय पैकरा, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सेवा संवर्ग को विभागीय आदेश क्र. 756 / 748 / 2020 / स्था. / चार, दिनांक 23.11.2020 द्वारा पदोन्नत श्री रजनीश कुमार पटेल के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, उनके नीचे वरिष्ठता निर्धारित करते हुए, तत्समय स्वीकृत वेतनमान अनुसार **"कार्य नहीं वेतन नहीं No Work No Pay"** के सिद्धांत पर छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के पद पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (15600–39100 ग्रेड वेतन 5400) वेतन लेवल–12 में, काल्पनिक पदोन्नति (Proforma Promotion) प्रदान करते हुए, लेखाधिकारी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिला परियोजना कियान्वयन इकाई जशपुर –1 में पदस्थ करता है।

3/ यह पदोन्नति **"कार्य नहीं वेतन नहीं No Work No Pay"** के सिद्धांत पर होगी। पदोन्नत छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग को वेतन वृद्धि एवं अन्य प्रयोजन हेतु मान्य की जाएगी, किन्तु जितनी अवधि में उस पद का वास्तविक रूप से कार्य नहीं किया गया है, उस अवधि का वेतन अवशेष प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। वास्तविक लाभ पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

30/10/2024
(डॉ.ए.के.सिंह)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

नवा रायपुर, दिनांक 30 / 10 / 2024

पृष्ठां. क्र. 1835 / 748 / स्था. / चार / 2024

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
2. प्रमुख सचिव / सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग / वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
3. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

...............2

SAS Later(s)

4. आयुक्त, सरगुजा संभाग, सरगुजा, छत्तीसगढ़
5. संचालक, संचालनालय, कोष एवं लेखा, नवा रायपुर अटल नगर।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग नवा रायपुर अटल नगर को उनके पत्र क्र 2447/79/2020/जी.एस., दिनांक 06 अगस्त 2024 के संदर्भ में ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
8. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, मान. उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, की ओर याचिका क्र. 652/2024 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 के तारतम्य में ।
9. कलेक्टर, जशपुर।
10. अपर विकास आयुक्त, कार्यालय विकास आयुक्त, नवा रायपुर अटल नगर
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिला परियोजना क्रियान्वयन ईकाई जशपुर–1, जिला–जशपुर।
12. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, अम्बिकापुर छत्तीसगढ़
13. कोषालय अधिकारी, जशपुर छत्तीसगढ़
14. संबंधित अधिकारी. ....
15. आदेश फोल्डर हेतु

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

30/08/2024

अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

SAS Later(s)